



प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 01 दिसम्बर, 2022

विषय:-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रिन्यान्वयन हेतु रु.3313.61लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0वित्तीय निगम के पत्रांक-330/विनि/वियोवि/2022-23 दिनांक 15.07.2022 द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए पात्र इकाईयों को निगम द्वारा स्वीकृत ब्याजमुक्त ऋण की धनराशि वितरित किये जाने हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष कुल धनराशि रु.3313.61लाख (रुपये तैंतीस करोड़ तेरह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की संस्तुति सहित अनुरोध किया गया है। पात्र इकाईयाँ का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	इकाई का नाम	ऋण स्वीकृत की धनराशि (रु.लाख में)
1	मे०सूर्या फूड एण्ड एगो लि०, गौतमबुद्धनगर (वित्त वर्ष 2017-18)	1680.00
2	मे०सूर्या फूड एण्ड एगो लि०, गौतमबुद्धनगर (वित्त वर्ष 2018-19)	1427.86
3	मे० पी०जी० इलेक्ट्रोप्लास्ट लि०, गौतमबुद्धनगर वित्त वर्ष 2013-14	205.75
	कुल योग-	3313.61 (रुपये तैंतीस करोड़ तेरह लाख इकसठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु.100.00 करोड़ (रुपये सौ करोड़ मात्र) में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु.3313.61 लाख (रुपये तैंतीस करोड़ तेरह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- 1- धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके बैंक खाते में सीधे आहरित कर जमा की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 2- उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित ब्याजमुक्त ऋण स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
- 3- स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
- 4- किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
- 5- स्वीकृत धनराशि सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से पात्र इकाई के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।
- 6- स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा।
- 7- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
- 8- यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003 (यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
- 9- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 वित्तीय निगम पर होगा। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।
10. यदि इकाइयों द्वारा ऋण वापसी के सम्बन्ध में डिफाल्ट किया जाता है तो डिफाल्ट की तिथि से आगे दी जाने वाली धनराशि का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

11. पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 वितीय निगम पर होगा। उ०प्र० वितीय निगम द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003(यथा संशोधित) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।
 12. ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
 13. यदि उ0प्र0 वितीय निगम द्वारा किसी किश्त के भुगतान में डिफाल्ट किया जाता है तो उ0प्र0 वितीय निगम द्वारा शासन को 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से विलम्ब की अवधि में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा।
 14. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा। उ0प्र0 वितीय निगम को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष उ0प्र0 वितीय निगम द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।
 15. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 16. उ0प्र0 वितीय निगम द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 33,13,61,000 (रुपये तैंतीस करोड़ तेरह लाख इकसठ हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6885011900600 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।**
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-87-X-2022-23, दिनांक- 11.11.2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।

संख्या-47/2022/1823/77-6-2022-6002(099)/7/2021(Part-1), तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- 3- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम को पत्रांक-330/विनि/वियोवि/2022-23 दिनांक 15-07-2022 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 10- नियोजन अनुभाग-1/4
- 11- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
 उप सचिव।